आदेश द्वारा इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 19/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलायंस एसेट रिकन्स्ट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय–11वी मंजिल, नार्थ साइड, आर–टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सीमा देवी पत्नी श्री हरि शंकर
   पता :– वार्ड नम्बर–05, बालाजी मोहल्ला, फुलेरा, जयपुर।
2. हरि शंकर पुत्र श्री छीतर मल
   पता :– चांदमारी कॉलोनी, फुलेरा, जयपुर।
3. भंवर लाल पुत्र श्री रामदेव
   पता :– बलाईयो का मोहल्ला, सामलपुरा, फुलेरा, जयपुर।
4. चिरंजी लाल बोराना पुत्र श्री भोमा राम
   पता–प्लाट नम्बर–25, बीनू, रेल्वे हॉस्पिटल के पीछे, हनुमान नगर, फुलेरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी, सहऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :– श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 30.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **वित्तीय संस्था बैद फिनसर्व लिमिटेड (बैद लिजिंग एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड)** ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती **सीमा देवी पत्नी श्री हरि शंकर** के स्वामित्व की सम्पत्ति **दुकान नम्बर–116, मॉ वैष्णव सिटी, खसरा नम्बर–1018, 1019, 1020, 1021/1, 1021/4, 1021/5 फुलेरा, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल 3,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। **वित्तीय संस्था बैद फिनसर्व लिमिटेड (बैद लिजिंग एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने दिनांक 09.03.2023 को जरिये एसाईनमेन्ट अप्रार्थी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया।** अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्ती संस्थान ने अप्रार्थीगणों को **3,50,000/–**रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **9,25,069/–**रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **29.09.2023** को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियमि की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती **सीमा देवी पत्नी श्री हरि शंकर** के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति **दुकान नम्बर–116, मॉ वैष्णव सिटी, खसरा नम्बर–1018, 1019, 1020, 1021/1, 1021/4, 1021/5 फुलेरा, जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)